# निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
# 262वीं बैठक दिनांक-18 अक्टूबर, 2023 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 262वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण, | अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, | अध्यक्ष |
| 2. श्री रणवीर प्रसाद, | आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 3. डा0 नीरज शुक्ला, | अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सचिव |
| 4. श्री महेश चन्द्र पाण्डेय | वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 5. श्री डी0वी0 सिंह, | मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 6. श्री अनिल कुमार मिश्र | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| 7. श्री संजीव कश्यप, | मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 8. श्री विजेता | प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/स्थानीय निकाय | सदस्य |
| 9. श्री दीपक सिंह, | वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त, | सदस्य |

सर्वप्रथम आवास आयुक्त द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से मा0 अध्यक्ष महोदय एवं मा0 सदस्यगणों का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:-

## विषय सूची

| मद सं0 | विषय | अनुभाग | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 262/1 | परिषद की 261वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि। | समन्वय | परिषद की 261 वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। |
| 262/2 | परिषद की 261वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2023 की अनुपालन आख्या। | समन्वय | परिषद की 261वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई 2023 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। |
| 262/3 | परिषद की बीबीखेड़ा योजना राजाजीपुरम लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-23 के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में। | सम्पत्ति | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/4 | परिषद की अवध विहार योजना लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखंड संख्या-3/सी0एस0-12 मेसर्स पृथ्वी इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य करने के सम्बन्ध में। | सम्पत्ति | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/5 | परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0-7/5 के पुनर्जीवन की अनुमति के सम्बन्ध में। | सम्पत्ति | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 262/6 | परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11, मेरठ में परिषद एवं कश्तकारों के मध्य हुए करार की शर्त अनुसार 05 प्रतिशत विकसित भूमि के बराबर दिये जाने वाले विकसित भूखण्डों के आवंटन/मांग के अनुसार भुगतान की जाने वाली धनराशि का भुगतान व अन्य औपचारिकतायें समय से पूर्ण न किये जाने के फलस्वरूप अधिरोपित दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क माफ करने एवं आवंटन/मांग पत्र पुनरीक्षित किये जाने हेतु मा0 निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाले व्याख्यात्मक टिप्पणी। | सम्पत्ति | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/7 | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय व आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी यथा संशोधित मार्च 2016 पुनः संशोधित विनियमावली -2023 के अनुमोदन हेतु मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी। | सम्पत्ति | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में कतिपय संशोधन बताये गये, जिन्हें नियमावली में सम्मिलित करते हुए प्रूफ रीडिंग के बाद गजट में प्रकाशित कराने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रूफ रीडिंग के दौरान सामान्य लिपिकीय त्रुटियॉ प्राप्त होने पर उनको संशोधित करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में अवलोकित कराने पर सहमति प्रदान की गयी। |
| 262/8 | अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति किये जाने हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की ''नॉन फील्ड जॉब'' की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रशासन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/9 | परिषद के लेखा संवर्ग में शासनादेश संख्या-914/9-आ-2-96-3एच0बी0(479)/89 अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मई,1996 के अनुसार स्वीकृत पदों को परिषद में लागू किया जाना एवं मा0 निदेशक मण्डल की 257वीं बैठक दिनांक 2-11-2022 के मद संख्या-257/12 पर पदों को पुनः अवधारित किये जाने हेतु अनुमोदित प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रशासन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/10 | श्री प्रमोद कुमार, निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता को आदेश संख्या 1595/अनुशा0-05/2023(3855) भाग-02 | अनुशासनिक | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दिनांक 04-08-2023 द्वारा किये गये बहाली आदेश के कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में। | | |
| 262/11 | उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को निजी रूप में आवंटित स्टाफ भवनों एवं भविष्य में भी निजी तौर पर आवंटित होने वाले स्टाफ भवनों को परिषद द्वारा वापस क्रय (Buy Back) किये जाने एवं भविष्य में स्टाफ भवन के रूप में मात्र फ्लैट ही आरक्षित किये जाने के संबंध में। | समन्वय | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस निर्देश के अनुसार अनुमोदित कि कतिपय पदों हेतु एकल आवास, आवास आयुक्त द्वारा आरक्षित किये जा सकेंगें। |
| 262/12 | प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-01 मोहनलालगंज, लखनऊ के सम्बन्ध में। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/13 | प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, मोहनलालगंज, लखनऊ के सम्बन्ध में। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |
| 262/14 | परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के मुंशीपुलिया मैट्रो स्टेशन के समीप सेक्टर-16 के भाग को परिषद अधिनयम 1965 की धारा-28 के अनुसार पुनः चिन्हांकित/अधिसूचित कर पुनर्विकास किये जाने के सम्बन्ध में। | वास्तुकला एवं नियोजन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/15 | परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में Metro Rail के फलस्वरूप TOD से आच्छादित क्षेत्रों में नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र टी0ओ0डी0 (ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलेपमेंट) (Influence Zone) को चिन्हित किये जाने के सम्बंध में। | वास्तुकला एवं नियोजन | टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र हेतु जन–सामान्य से अनापत्ति प्राप्त कर चिन्हाकंन करते हुए लखनऊ महायोजना में समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/16 | परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में RRT (Regional Rapid Transport System) के फलस्वरूप TOD से आच्छादित क्षेत्रों में नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र टी0ओ0डी0 (ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलेपमेंट) (Influence Zone) को चिन्हित किये जाने के सम्बंध में। | वास्तुकला एवं नियोजन | टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार मेट्रो व आर0आर0टी0एस0 के प्रभाव क्षेत्र हेतु जन–सामान्य से अनापत्ति प्राप्त कर चिन्हाकंन करते हुए गाजियाबाद महायोजना में समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाए । सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 262/17 | वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-7 व 8 में मिश्रित भू-उपयोग की लगभग 80 एकड़ भूमि के निर्माण/विकास हेतु टी0ओ0डी0 नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव के सम्बंध में। | वास्तुकला एवं नियोजन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि पूर्व में सेक्टर–7 एवं 8 हेतु नियोजित कन्सलटेंट से यह कार्य कराने की संभावना पर विचार कर लिया जाए। |
| 262/18 | भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-मांझा बरेहटा से सम्बन्धित नियोजन समिति की संस्तुतियाँ परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/19 | परिषद की योजनाओं में उपविधि के प्रस्तर 26.1 में निहीत प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद योजनाओं के चिन्हांकन हेतु नीति निर्धारिण के सम्बन्ध में। | वास्तुकला एवं नियोजन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उपविधि के अध्याय–26 में किये गये प्रस्तावित संशोधनों को परिषद में लागू करने से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करते हुए योजनाओं की सूची आगामी बैठक में रखी जाए। |
| 262/20 | परिषद की उन्नाव भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, जनपद-उन्नाव हेतु मा0 निदेशक मण्डल की 214वीं बैठक दिनांक 27-07-2010 के मद सं0-214/23 पर धारा-28 हेतु अनुमोदित 581.48 एकड़ के स्थान पर, मा0 निदेशक मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 26-12-2016 के मद सं0-240/5 पर 100 से 150 एकड़ तक आपसी सहमति से योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत, वापस लेते हुए तथा धारा-29 के अन्तर्गत निर्गत नोटिसों के सापेक्ष परिषद अधिनियम 1965 की धारा-30 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों सुनवाई करने के उपरान्त परिषद अधिनियम 1965 की धारा-31(1), 31(2) व धारा-32 के अन्तर्गत योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 262/21 | परिषद की जी0टी0 रोड बाईपास योजना क्षेत्र में पहुच मार्ग के दृष्टिगत ग्राम-निबिया से पहुच मार्ग हेतु 26 खसरों के अधिग्रहण हेतु परिषद अधिनियम 1965 की धारा-28 का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/22 | परिषद की आम्रपाली योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-ई-1/जी0एच0-1 मेसर्स अर्थकान कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 के सम्बन्ध में। | सम्पत्ति | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि समयवृद्धि शुल्क की धनराशि एवं समयवृद्धि की अवधि की गणना का सही ढंग से पुनः परीक्षण कर लिया जाए। |
| 262/23 | परिषद द्वारा विभिन्न शहरों में नयी योजनाओं के संचालन हेतु परिषद द्वारा रु0 10,000/- करोड़ का ऋण लिये जाने का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी। | वित्त एवं लेखा | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/24 | काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, वाराणसी के सम्बन्ध में। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 262/25 | परिषद द्वारा मेरठ, नगर में संचालित शास्त्रीनगर योजना सं0.7 मेरठ में घनी आबादी के रूप में अतिक्रमण से प्रभावित भूमि के संबंध में मा0 निदेश मण्डल के समक्ष प्रस्तु की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी। | भूमि अर्जन | सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि अर्जित भूमि पर निर्मित व्यावसायिक सम्पत्तियों से भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त कर ही विनियमितीकरण कराया जाए। |

अनुमोदित,

27/x/15

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अध्यक्ष